भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 124

जिसका उत्तर 03.02.2020 को दिया जाना है

मोटरयान (संशोधन) अधिनियम को लागू करना

124. श्री राम नाथ ठाकुरः

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि कुछ राज्यों ने संसद द्वारा हाल ही में पारित मोटरयान (संशोधन) अधिनियम के तहत निर्धारित दंडात्मक उपबंध को लागू करने में यह कहते हुए अपनी असमर्थता जताई है कि इनके अंतर्गत निर्धारित अर्थदंड की राशि बहुत ही अधिक है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) कितने राज्यों में इसे अक्षरशः लागू किया गया है तथा कितने राज्यों में इसे संशोधन के साथ स्वीकृति दी गई है; और

(घ) क्या सरकार ने ऐसे संशोधनों को स्वीकृति दी है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) से (घ): मंत्रालय को किसी भी राज्य से मोटर यान (संशोधन) अधिनियम, 2019 के प्रावधानों को लागू नहीं करने की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। हाल ही में संसद द्वारा पारित मोटर यान (संशोधन) अधिनियम, 2019 के बाद में मोटर यान अधिनियम (1988) की धारा 200 - "200-कतिपय अपराधों का शमन - (1) धारा 177, धारा 178, धारा 179, धारा 180, धारा 181, धारा 182, धारा 182क की उपधारा (1) या उपधारा (2), हाथ में रखी संसूचना युक्तियों के प्रयोग तक सीमित धारा 184, धारा 186, धारा 189, धारा 190 की उपधारा (2), धारा 192, धारा 19क, धारा 194, धारा 194क, धारा 194ख, धारा 194ग, धारा 194घ, धारा 194ङ., धारा 194च, धारा 196, धारा 198 के अधीन दंडनीय किसी अपराध का, चाहे वह इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व किया गया हो या पश्चात किया गया हो, ऐसे अधिकारियों या प्राधिकारियों द्वारा ऐसी राशि के लिए जो राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, शमन या तो अभियोजन संस्थित किए जाने के पूर्व या पश्चात किया जा सकेगा'' के रूप में पठित है।

*****